

## मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया

1. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप [sso.rajasthan.gov.in](http://sso.rajasthan.gov.in) वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते हैं।
2. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये विभागीय वेबसाइट [health.rajasthan.gov.in/mmcbsby](http://health.rajasthan.gov.in/mmcbsby) पर रजिस्ट्रेशन के लिये दिये लिंक पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
3. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते हैं।
4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर साँफटवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
6. परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको साँफटवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को साँफटवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पॉलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
7. Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर साँफटवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पॉलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।